REGD. NO. D. L..33004/99



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub.section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1402]नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2014/आषाढ़ 11, 1936No. 1402]NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2014/ASHADHA 11, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2014

का.आ. 1673(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के पूर्ववर्ती पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1297(अ), तारीख 24 नवंबर, 2004 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में प्रविष्टियां छोड़ दी गई हैं :—

''रारा	125	टनकपुर - पिथौरागढ़	151.00 किमी.''

[फा. सं. एनएच-14013/8/2014-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 1297(अ), तारीख 24 अगस्त, 2004 में प्रकाशित किया गया था।

2710 GI/2014

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2014

S.O. 1673(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1297(E), dated the 24th November, 2004, namely:—

In the Table to the said notification, the following entries, under columns numbers (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:—

"NH 125	Tanakpur-Pithoragarh	151.00 km."

[F. No. NH-14013/8/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note :- The principal notification was published vide number S.O. 1297(E), dated the 24th November, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2014

का.आ. 1674(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9, 23 और 31 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, रारा सं. 20ए, रारा सं. 21 [किमी. 73.200 से किमी. 190.000 तक को	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार''
	छोड़कर], सं. 22 [किमी. 337.140 से किमी. 368.000 सहित (वांगटू–पोवारी खंड लेकिन सीमा	
	सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों को छोड़कर तथा 62.200 किमी. से 67.200 किमी. तक	
	(हरियाणा – हिमाचल सीमा-दिल्ली) को छोड़कर], सं. 21ए, सं. 70, सं. 72, सं. 72बी, सं. 73ए, सं.	
	88 और नई रारा सं. 305 के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं ।	

	"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 [किमी. 152.00 से किमी. 218.200 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा से	उत्तराखंड राज्य सरकार"
		हरिद्वार से नेपाली फार्म खंड) और किमी. 228.00 से किमी. 524.000 तक खंड को छोड़कर], सं. 72	
		[किमी. 165.000 से किमी. 196.825 (नेपाली फार्म – देहरादून खंड) तक खंड को छोड़कर], सं.	
		72ए, सं. 73, सं. 74 [किमी. 175.000 से किमी. 264.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड)	
		तक खंड को छोड़कर], सं. 87 [सिमली से कर्णप्रयाग (7.00 किमी.) और किमी. 43.30 से किमी.	
		88.00 (रामपुर से काठगोदाम) (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 94 [किमी.	
		123 से किमी. 218 (यमनोत्री के निकट धरासू से कठनौर) तक खंड को छोड़कर], सं. 119, सं. 121,	
		सं. 123, सं. 125, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 107ए और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 309ए के उतने भाग	
		जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं ।	
	"31	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए (किमी. 0.00 से किमी. 286.000 और किमी. 303.800 से किमी.	जम्मू और कश्मीर राज्य
		534.250), सं. 1बी, सं. 1सी और नई रारा सं. 301 के उतने भाग जो जम्मू और कश्मीर राज्य में	सरकार''
		अवस्थित हैं।	
1			

[फा. सं. एनएच-14013/8/2014-पी एंड एम] माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड **3** उप-खंड (ii**)** के सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1221(अ), तारीख 7 मई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2014

S.O. 1674(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9, 23 and 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"9	So much of National Highway No. 20, No. 20A, No. 21 (excluding from km. 73.200 to km. 190.000), No. 22 [including from km. 337.140 to km. 368.000 (Wangtu-Powari Section) but excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from km. 62.200 to km. 67.200 (Haryana/Himachal Border-Delhi)], No. 21A, No. 70, No. 72, No. 72B, No. 73A, No. 88 and new NH No. 305 as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh."
23	So much of National Highways No. 58 [excluding from km. 152.00 to km. 218.200 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border to Haridwar to Nepali Farm section) and from km. 228.00 to km. 524.000], No. 72 [excluding from km. 165.000 to km. 196.825 (Nepali Farm–Dehradun Section)], No. 72A, No. 73, No. 74 [excluding from km.175.000 to km. 264.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No. 87 [excluding from Simli to Karna Prayag (7.00 km.) and from km. 43.30 to km. 88.00 (Rampur to Kathgodam) (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)], No. 94 [from km. 123 to km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 119, No. 121, No. 123, No. 125, new National Highway No. 107A and new National Highway No. 309A as are situated within the State of Uttrakhand.	State Government of Uttrakhand."

TABLE

31So much of new National Highway No. 1A (excluding from km.0.00 to km. 286.000 and from km. 303.800 to
km. 534.250), No. 1B, No. 1C and new NH No. 301 as is situated within the State of Jammu and Kashmir.State Government of
Jammu and Kashmir".

[F. No. NH-14013/8/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note:—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1221(E), dated the 7th May, 2014.